न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1245–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण कमांक 97/निगरानी/2009–10.

गोपाल सिंह परिहार पुत्र दलप्रताप सिंह परिहार
निवासी ग्राम जमौडीकला तहसील
जिला सीधी .....आवेदक

विरूद्ध

1. दद्दू सिंह पुत्र दलप्रताप सिंह परिहार
निवासी ग्राम मुठिगवां तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक,अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार गोपद बनास जिला सीधी के समक्ष संहिता की धारा 73 के अन्तर्गत ग्राम जमोडा कस्बा स्थित भूमि खसरा कमांक 515 रकवा 0.15 डि. के संबंध में हुये तहसीलदार

गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 05/अ–74/87–88 में पारित आदेश दिनांक 25–4–88 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20–4–2012 को आवेदक की निगरानी समय–सीमा के बाहर होने से निरस्त की। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक को आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपर कलेक्टर के समक्ष जानकारी दिनांक से निगरानी समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अपर कलेक्टर ने प्रकरण गुण–दोषों पर निराकरण न करन समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर निराकरण करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्ध लगभग 26 वर्ष पश्चात विलंब से निगरानी प्रस्तुत की गई थी। चूंकि आवेदक ने विलंब के संबंध में कोई कारण निगरानी में नहीं दर्शाथा इसी कारण अपर कलेक्टर ने निगरानी को समय–सीमा के बाहर मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष लगभग 26 वर्ष पश्चात तहसीलदार के नक्शा तरमीम के आदेश को चुनौती दी थी। अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक ने म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में कोई ठोस समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है जिससे 26 वर्ष के दीर्घकालिक विलंब को क्षमा किया जा सके। इसी कारण अपर कलेक्टर ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त की गई है। चूंकि पूर्व में हुई नक्शा तरमीम की कार्यवाही आवेदक के

आवेदन पर ही की गई थी अतः आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी थी। इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा लगभग 26 वर्ष विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। अपर कलेक्टर ने विस्तार से आदेश पारित कर उचित निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर सीधी का आदेश दिनांक 20–4–12 स्थिर रखा जाता है ।

(एस0एस अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर